UPLK010146512025

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।**
**सेशन्स केस सं0 1205/2025**

सरकार बनाम कौशलेन्द्र यादव

अ0सं0 159/2025
धारा–69,89 बी0एन0एस0
धारा 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट
थाना–काकोरी, लखनऊ।

**03–01–2026**

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त कौशलेन्द्र यादव जेल से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजग ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 69, 89 बी0एन0एस0 तथा धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 15–01–2026 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010146512025

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।**

**सेशन्स केस सं0 1205/2025**

सरकार बनाम कौशलेन्द्र यादव

अ0सं0 159/2025

धारा–69,89 बी0एन0एस0

धारा 3(2)5 एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट

थाना–काकोरी, लखनऊ।

**आरोप**

मैं, हुसैन अहमद अंसारी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त कौशलेन्द्र यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

**प्रथमः** यह कि दिनांक 07.05.2025, से 6 माह पहले आपके द्वारा वादिनी मुकदमा शिवानी रावत को उसके निवास स्थान अंतर्गत थाना क्षेत्र काकोरी में शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापितकरने हेतु ले जाया गया और उसके साथ स्थान अदम तहरीर में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया और बाद में वादिनी से शादी करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीयः**यह कि यह कि दिनॉक29.11.2024 को समय अदम तहरीर आप अभियुक्त कौशलेन्द्र यादव द्वारा वादिनी मुकदमा शिवानी रावत को नोएडा ले जाकर शारीरिक संबंध स्थापित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वादिनी के गर्भवती होने पर आपके द्वारा दिनांक 10.04.2025 को आपने वादिनी मुकदमा शिवानी रावत की सम्मति के बिना उसे दवा लिखाकर उसका गर्भपात कारित कराया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0नं0सं0 की धारा 89 के अंतर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः**यह कि उपरोक्त तिथि, समय व उपरोक्त स्थान पर आप अभियुक्त कौशलेन्द्र यादव द्वारा वादिनी मुकदमा शिवानी रावत (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वादिनी के गर्भवती होने पर दवा खिलाकर वादिनी की सम्मति के बिना उसका गर्भरात कराया। जो भारतीय न्याय संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 03–01–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6158

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(हुसैन अहमद अंसारी)
दिनांकः 03–01–2026 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6158